



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 255 राँची, गुरुवार,

4 मई, 2023 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

6 मार्च, 2023

विषय:- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में ।

संख्या-01/स्था./नियमितिकरण/25/2021/खा.आ.-806--माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा WP(S) No.-6410/2010 सुशील लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 12.08.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को यह आदेशित किया गया है कि इस समादेश याचिका में अन्तर्निहित वादियों के दावे की सुनवाई इनके वाद को अभ्यावेदन मानते हुए यह आदेश प्राप्ति के सोलह (16) सप्ताह के भीतर किया जाय एवं यदि आदेश इनके पक्ष में पारित किया जाता है तो उसकी सूचना वादियों को दो (02) सप्ताह के भीतर दे दिया जाय। उक्त याचिका में वादी के रूप में मो० नसीरुद्दीन खान, दैनिक पारिश्रमिक चालक भी सम्मिलित थे ।

उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा निर्गत तार्किक आदेश ज्ञापांक-1561 दिनांक 11.11.2011 द्वारा मो० नसीरुद्दीन खान, दैनिक पारिश्रमिक चालक की सेवा दिनांक 18.07.2009 तक लगातार 10 वर्षों की नहीं होने एवं स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनकी चालक के पद पर सेवा नियमितीकरण का दावा अस्वीकृत किया गया था ।

2. प्रासंगिक तार्किक आदेश के विरुद्ध दैनिक पारिश्रमिक चालक श्री अजिमुल हक अंसारी, श्री नसीरुद्दीन खान एवं अन्य द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No.- 7311/2011 दायर किया गया था ।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2023 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यान्वयन भाग निम्न है:-

"The things stands today is that the petitioner are still working and they have been working for nearly twenty years. Taking work from a person for nearly twenty years and not giving him regular pay scale and not regularizing him prima facie, is an unfair practice.

In that view, the Chief Secretary, Govt. of Jharkhand is directed to consider the claim of regularization considering the fact that the petitoiners are working for nearly twenty years. The decision taken by the Chief Secretary, Govt. of Jharkhand should be communicated to this Court within eight weeks."

3. उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1348, दिनांक 13.02.2015 द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण नियमावली, 2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871, दिनांक 20.06.2019 द्वारा नियमितिकरण संशोधन नियमावली के आलोक में, सेवा नियमितिकरण हेतु स्वीकृत रिक्त पद एवं आधार तिथि दिनांक 20.06.2019 तक लगातार 10 वर्षों की सेवा का होना अनिवार्य है ।

4. उपर्युक्त न्यायादेश के पूर्व ही, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 1348, दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871, दिनांक 20.06.2019 के आलोक में पूर्व में सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2022 एवं 22.04.2022 को सेवा नियमितीकरण हेतु समिति की बैठक आहूत की गई थी ।

उक्त बैठक में उपर्युक्त अधिसूचनाओं के आलोक में समिति के संज्ञान में यह बात दृष्टिगोचर हुआ कि विभाग में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों में मो० नसीरुद्दीन खान, चालक एवं श्री कार्तिक महली, चालक नियमितिकरण की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, नियुक्ति हेतु स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध लगातार 10 वर्षों की सेवा एवं समय-सीमा के अंदर आवेदन समर्पित करना, को पूर्ण करते हैं। अतः समिति द्वारा मो० नसीरुद्दीन खान एवं श्री कार्तिक महली, चालक को क्रमशः अनारक्षित एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति की अनुशंसा इस शर्त के साथ की गई कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 1348, दिनांक 13.02.2015 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

5. उपर्युक्त कर्मियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतिस्पर्धा एवं विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 की कंडिका (2) के परिभाषा के अनुसार मो० नसीरुद्दीन खान, चालक एवं श्री कार्तिक महली, चालक की नियुक्ति अनियमित है।

6. विभाग द्वारा मो० नसीरुद्दीन खान को 01.09.2003 के प्रभाव से तथा जन वितरण शिकायत आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा श्री कार्तिक महली को 03.10.2007 के प्रभाव से दैनिक पारिश्रमिक चालक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी। इस अवधि के बाद इन्हें समय-समय पर उत्कृष्ट सेवा के आधार पर अबतक सेवा विस्तार प्रदान किया गया है।

7. मो० नसीरुद्दीन खान दिनांक 01.09.2003 से मार्च 2011 तक विभाग में दैनिक पारिश्रमिक एवं अप्रैल 2011 से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा चालक का निर्धारित एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक राशि के आधार पर चालक के पद पर कार्यरत होकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 निर्गत होने तक रहे हैं एवं वर्तमान में कार्यरत है।

श्री कार्तिक महली दिनांक 03.10.2007 से 09.06.2009 तक जन वितरण शिकायत आयोग (जन वितरण शिकायत आयोग का विघटन तिथि 09.06.2009) में दैनिक पारिश्रमिक एवं विघटन के पश्चात् दिनांक 10.06.2009 से मार्च 2011 तक विभाग में दैनिक पारिश्रमिक तथा अप्रैल 2011 से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा चालक का निर्धारित एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक राशि के आधार पर चालक के पद पर कार्यरत होकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 निर्गत होने तक रहे हैं एवं वर्तमान में कार्यरत है।

इस प्रकार विभागीय संकल्प संख्या-228 दिनांक 23.02.2005 द्वारा स्वीकृत रिक्त चालक के पदों के विरुद्ध अनियमित रूप से दैनिक पारिश्रमिक एवं एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक राशि के आधार पर कार्यरत मो० नसीरुद्दीन खान एवं श्री कार्तिक महली, चालक की सेवा लगातार 10 वर्षों से अधिक अवधि की है तथा वर्तमान में दोनों कार्यरत हैं ।

8. अतः मो० नसीरुद्दीन खान तथा श्री कार्तिक महली, चालक को क्रमशः अनारक्षित एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के चालक के स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध Pay Matrix Level -2 मूल वेतन रुपये 19900 एवं अनुमान्य अन्य भत्ते के साथ नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 02.03.2023 की बैठक के मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है तथा यह नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

9. अनियमित रूप से नियमित कर्मों की सेवा नियमितीकरण की गणना, संबंधित आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

हिमानी पाण्डे,
सरकार के प्रधान सचिव ।
